

RAJYA SABHA

Friday the 2nd June, 1995, 12th Jyaistha,
1917 (Saka)

The House met at eleven of the clock, the Deputy Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

msing on the processing of Sugar-cane

3821. SHRI BHUPINDER SINGH NN:
Will the Minister of AGRICULTURE be
pleased to state:

(a) whether Government are aware " at
licensing on the processing of sugar, same is a
great hindrance to the production of
sugarcane in the country especially in Punjab
where sugar mills are less in number than
requirement;

(b) if so, whether the requirement of licence
in processing of sugarcane is proposed to
be removed; and

(c) if not, the reasons therefor and
by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI
ARVIND NETAM): (a) to (c) The licensing
policy for sugar industry including the option
of delicensing is under examination.

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : मैडम, अगर कोई
उपज पैदा हो और उसके इस्तेमाल करने
के ऊपर रुकावट लगी हो तो इसका मतलब
साफ है कि खेती की उपज में रुकावट
की स्थिति चल रही है। इस वक़्त पंजाब की
शुगर मिलों में, अकड़ों के मुताबिक सन्
1980-81 में गन्ने की पैदावार 39 लाख
टन हुई और वहाँ केवल सिर्फ पाँचे 6 लाख
टन, 5.86 लाख टन हुआ। वैसे ही
1994-95 में 70.21 प्रोडक्शन हुआ
और कंजप्शन 34.98 टन हुआ। इसका
मतलब यह हुआ कि गन्ने की पैदावार जो
होती है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया
जाता और दूसरी तरफ यह कहा जाता है
कि गन्ना कम है इसलिए शुगर मिलों को
नहीं दिया जाता और इसके ऊपर प्रतिबंध
लगाया जाता है, लाइसेंस नहीं दिए जाते

हैं, परमिट नहीं दिए जाते हैं, लेटर आफ
इस्टेंट नहीं दिया जाता। इस प्रकार जो गन्ना
पैदा होता है वह आधी कैपेसिटी में पैदा
होता है और उसका भी मिलों में यूटिलाइ-
जेशन नहीं होता और वह खंडसारी और
दूसरी चीजों में इस्तेमाल होता है। इसलिए
मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इसको
लीलाइसेंस क्यों नहीं करती? यह गन्ना जो
है इसको क्लोज पैन सिस्टम और वैक्यूम
पैन सिस्टम से इसको यूटिलाइज करने की
इजाजत अभी तक सरकार ने क्यों नहीं की,
इसके बारे में मैं मंत्री जी से जानना
चाहता हूँ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) :
उपसभापति जी, सरकार भूपेन्द्र सिंह जी ने
जो कहा—वैसे मैं उनसे काफी सवाल करता
रहता हूँ और उनकी बात भी बहुत मानता
हूँ। इसका लीलाइसेंस करने और लाइसेंस
में रखने के लिए गुण और दोष दोनों को
देखना पड़ता है। ये चाहते हैं कि इस
मामले पर विचार करना चाहिए। सवाल
इतना ही है कि देखना पड़ता है। जहाँ
तक पंजाब का प्रश्न सरदार साहब ने किया
है, उसके मुताबिक मैं यह कह सकता हूँ
कि यह एकानामिक फैक्टर है। किसान पैदा
करता है अपनी आमदनी के लिए और जो
आमदनी होती है तो वह चीज वह लेता है
जिससे उसकी प्राप्ति हो। पंजाब में इस वक़्त
6 लाख टन की कैपेसिटी है लेकिन गन्ना
उपलब्ध नहीं है। इसलिए वहाँ सिर्फ 3
लाख टन चीनी का उत्पादन होगा।

पंजाब में सन् 1988 से लेकर
आज तक चार गुना कैपेसिटी बढ़ाई गई है
और मैं आपको आश्चर्य कर सकता हूँ
सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जी कि जब गन्ना
पैदा हो जाएगा जो कि अब होने वाला है,
अब इकोनॉमिक तौर पर किसानों को फायदा
होगा, उसको पता लग गया है कि अब जो
हमने नयी गन्ने की कीमतें दी हैं उनसे
उसको अधिक प्राप्ति होगी और अपने
आप ही गन्ना ज्यादा पैदा करेगा। गन्ना
अगर ज्यादा होगा तो जितना हमने एक्सपेंशन
के लिए दे रखा है अभी तो वह भी पूरा नहीं
हो पा रहा है, वह जब हो जाएगा तो मैं
और कोशिश करूँगा। जितनी आप कोशिश
करेंगे, उससे उबल कोशिश मैं करूँगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : मैडम, मंत्री जी ने कहा कि वहां गन्ना उतना है नहीं जितनी कैपेसिटी है और शुगर मिलज नहीं चलती है। लेकिन वहां के आंकड़ों के मुताबिक आधे से कम गन्ना जो पैदा होता है वह शुगर मिलों में यूटीलाइज होता है और जौन कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया था कि वहां इतना अधिक गन्ना हो सकता है कि 50 शुगर मिलज होनी चाहियें। लेकिन इससे आगे जा कर मैं यह कहूंगा कि यह क्या अधिकार है किसी को कि जो गन्ना पैदा करता है उसको प्रोसेस करने के ऊपर रुकावट लगाई जाए और यहां बैठ कर डिमांड करें कि वह अपने गन्ने से चीनी बना सकता है या नहीं, शक्कर बना सकता है या नहीं, गुड़ बना सकता है या नहीं। जब दुनिया खुलेपन की तरफ जा रही है तो यह क्यों व्यवस्था है कि किसान को रुकावट है, वह अपने गन्ने का कुछ न बना सके। यहां बैठ कर के लाइसेंस किसी को जो अपने नजदीक वाला हो जो साथ वाला हो, जिसके हाथ अच्छे हों, उसको दे दिया जाए और वह गन्ना अपनी मर्जी के साथ ले या खराब करे या बरबाद करे। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह : जो हाथ वाला हो यह कहिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह मान : वह किसान के ऊपर रुकावट लगाए। किसान जो पैदा करता है उसके प्रोसेस करने के रास्ते में मोनोपली की जाए कुछ लोगों के हाथ में, उसके प्रोडक्शन को हाथ लगाने की कोशिश हो, यह किसान के साथ ही नहीं बल्कि देश के साथ भी धोखा है। आघा परसेंटेज जो गन्ने का है, वह गुड़ और शक्कर में जाता है जबकि उसका यूटीलाइजेशन या जो उसकी रिकवरी है, वह आधी ही होती है यह नेशनल लॉस भी है। इस नेशनल लॉस को देखना चाहिये कि आज तक कितना हुआ है और उसको रोकने के लिए यहां बिल्कुल प्रायवासन देना चाहिये कि एकदम इसे डिमांड-सेंस किया जाएगा। मेरा यह भी कहना कि गन्ने और सभी वस्तुओं को प्रोसेस करने के ऊपर रुकावट न की जाए।

श्री बलराम जाखड़ : सरदार साहब ने बहुत कुछ बातें कहीं हैं। पहले तो पंजाब के मूतानिक आपको मैं बताऊं कि एक्सपेंशन के लिए हमने गुरदासपुर को 1250 से 2500, मोरिडा को 2250 से 5000, भांगपुर को 1000 से 2500, बटाला को 1500 से 4000, फगवाड़ा को 2500 5000, फगवाड़ा दूसरी को 5000 10000 टन क्रशिंग कैपेसिटी का लाइन दे रखा है। इस प्रकार से कोई कामी न है लेकिन जो आपने कही है, मैंने तो पहले भी कहा है कि गुण और दोष दोनों हैं

Everything has got its negative and positive aspects. अगर आप कहें तो मैं सारा पढ़ कर आपको बता सकता हूं कि क्या कारण है जिससे लाइसेंसिंग की जाती है और वैसे ही दूसरे कारण हैं जिनके आधार पर लाइसेंसिंग नहीं करनी चाहिये। लाइसेंस करने के कारण की मैं अगर बात करूं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं विस्तारपूर्वक बोल दूंगा क्योंकि यह काफी विस्तार में बोलने वाला मसला है वर्न् कमेटी में इसीलिए दे रखा है। शायद आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ लेकिन कभी-कभी सोचना पड़ता है जैसे इंस्टांन्ड कैपेसिटी है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिलें काम कर रही हैं, अगर उस एरिया में नयी मिलें लगा दें तो फिर ऐसा है कि नयी मिलों को कुछ प्रोत्साहन देते हैं जिससे उनकी प्रोफिटैबिलिटी बढ़ जाती है। पुरानी मिलें जो होती हैं इसके फलस्वरूप वह मर जाती हैं। इसलिए ऐसा न हो कि गड़बड़ हो जाए और असंतुलन हो जाए। अभी 25 किलोमीटर का दायरा है। कहीं-कहीं 15 किलोमीटर भी कर देते हैं जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है। इसलिए ऐसी चीजें हैं, गुण और दोष दोनों हैं, अगर आप कहें तो मैं सब डिटेल्ज आपके पास भेज सकता हूँ आप से इस पर सलाह भी कर लेंगे, क्या कारण है। वैसे गुड़ और शक्कर दोनों के बगैर भी गुजारा नहीं है, यह भी जरूरी है। मैं तो कम से कम गुड़ खाता हूँ। इसलिए थोड़ा सा मूत्र भी जीने दो।

SHRI GOPALRAO VITHALRAO PATIL: How many proposals of cooperative sugar factories have been received from Maharashtra? Is the Government considering them favourably and thinking of

giving licences to all these factories? Last year you had given licences to some factories. Have they started production and, if so, at what stage of production they are?

SHRI BALRAM JAKHAR: Madam, this question specifically relates to Punjab, but I can provide all the data to the hon. Member, if he so likes. I can ask my Ministry to collect all those data which we have given to them and which are in the process. To my knowledge, they have not so far been completed, but they are in the process. There are certain facilities which are to be availed of by them regarding money. So, they are in the-process and I can send that information to the hon. Member.

SHRI VIRENDRA KATARIA: The people in our country and Punjab in particular are not setting up sugar mills due to various problems and cumbersome procedures, such as licensing on the processing of sugarcane and also in the absence of any incentives from the Government. Therefore, I would like to know from the hon. Minister what steps are being taken to encourage the people of Punjab to grow more sugarcane, to set up more processing units of sugar and sugar mills, and whether the procedure of licensing on the processing is existing in all the States. Part (b) of my question is: What is the extensive sugar production scheme and when is it going to be implemented?

SHRI BALRAM JAKHAR: The question is very relevant. We would like to enhance the production of sugarcane so that our factories can work and for that yesterday the Cabinet has approved a scheme called Sustainable Development of Sugarcane Based Cropping Pattern Scheme and Rs. 69 crores have been sanctioned for that. I think that will give a greater boost to the production of sugarcane and will also provide technical help for integrated pest management programme, apart from whatever help is made available by giving him more remunerative prices and that will help to increase our sugar production and our factories will work more profitably.

SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Madam, I would like to know from the

hon. Minister how many licences for sugar mills have been given in the State of Andhra Pradesh in the year 1994 and out of which how many licences have been utilised to set up sugar mills.

SHRI BALRAM JAKHAR: Madam, we will have to forward the answer because this is a new question. This question is specifically for Punjab.

श्री शिवचरण सिंह : महोदया, क्वेश्चन के पाट "ख" के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि वे कृपया स्पेसिफिकली यह बताने की कृपा करें कि जो शुगर मिलों की डीलाइसेंसिंग के बारे में प्रधान मंत्री और आपकी कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं लेकिन बार-बार आप इस मामले को क्यों लटकते जा रहे हैं ? यदि शुगर मिल्स का डीलाइसेंसिंग करना चाहते हैं तो कब तक करना चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी इसका स्पेसिफिक उत्तर दें और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : महोदया, मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है । अगर आप कहें तो मैं दुबारा उसको रिपार्ट कर दूँ ।

उपसभापति : नहीं । आपने इसका उत्तर दे दिया है ।

श्री शिवचरण सिंह : मुझे तो कृपया यह उत्तर दे दें कि अगर आप डीलाइसेंसिंग करेंगे तो कब तक करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : एक्टिव कंसीडरेशन कह दूँ ।

SHRI K. R. MALKANI: How long will the active 'consideration take?

SHRI BALRAM JAKHAR: Everything takes time.

Liability under DPEA

*822. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the names of the companies who have provided the data asked for while working out the liability under DPEA;

(b) the source and data on which Government worked out the liabilities is